पंकज कुमार
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
E-mail: mduppcl12@gmail.com
Ph.no.- 0522-2218708

संख्याः 1491 /रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांकः 07 अगस्त, 2024

विषय : कार्यदायी संस्थाओं के भुगतान के सम्बन्ध में।

ई–मेल / WhatsApp द्वारा प्रेषित

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल–वाराणसी/मध्यॉचल–लखनऊ
दक्षिणॉचल–आगरा/पश्चिमॉचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

आप अवगत हैं कि डिस्कॉम्स में विभिन्न वितरण तंत्र सुदृढ़ीकरण/निर्माण सम्बन्धी कार्यों की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु Third Party Inspection Agencies (TPIAs) से निरीक्षण कराये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संज्ञान में आया है कि उक्तानुसार TPIAs द्वारा निरीक्षण के आलोक में कार्यदायी संस्थाओं का भुगतान रोका जा रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यदायी संस्थाओं के बिलों के भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए–

1. कार्यदायी संस्था के कार्य का नियमानुसार मापन (MB) करने तथा सम्पादित कार्य की मात्रा अनुबन्धानुसार उचित पाए जाने की स्थिति में संतुष्ट होने पर रनिंग बिल्स का भुगतान (कुल प्रोजेक्ट लागत की 70 प्रतिशत सीमा तक) निर्गत किया जाए। शेष 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान TPIAs द्वारा निरीक्षण के उपरान्त Non Conformities के शत–प्रतिशत निराकरण होने के उपरान्त किया जाए अर्थात **Pre-Audit of Final Bill** सुनिश्चित किया जाए।
2. BP 2023-24, Deposit Head के समस्त कार्य तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में सम्पादित ओ0 एण्ड एम0 मद के महत्वपूर्ण कार्यों (यथा Protection सम्बन्धी कार्य आदि) का TPIAs से निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बिजनेस प्लान के समस्त कार्यों तथा विभिन्न मदों (O&M/ Deposit) में सम्पादित कराए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो प्रगति पर है, का भी Third Party Inspection कराया जाए तथा कार्य पूर्ण हो जाने पर पुनः निरीक्षण कराया जाए तथा इसके लिए **Post-Audit of Running Bills & Pre-Audit of Final Bills** की व्यवस्था लागू की जाए। इसके अंतर्गत कार्य का नियमानुसार मापन (MB) करने तथा समुचित कार्य की मात्रा उचित पाए जाने की स्थिति स्पष्ट होने पर रनिंग बिल का भुगतान (70 प्रतिशत सीमा तक) किया जाए। ऐसी स्थिति में TPIA द्वारा inspection concurrently किया जायेगा अर्थात् कार्य की प्रगति पर रहते किया जायेगा तथा inspection के कारण रनिंग बिल का भुगतान रोका नही जायेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् TPIA द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा किये गये कार्य की गुणवत्ता तथा मात्रा उचित पायी जाये तो Non Conformities के निराकरण के बाद शेष 30 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
4. कार्यो की MB भौतिक रूप से MB पुस्तिका में भी की जायेगी तथा इसको ERP पर भी अपलोड किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यो का भुगतान MB के ERP पर अपलोड होने के पश्चात् ही किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

07/08/24.
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक